संख्या– 2219/आठ–2–11–87 मा0का0यो0/11.

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0।
4– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 8 अगस्त 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज के अनुरक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5376/9–5–2008–152सा/08 दिनांक 24–7–2008, शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा0/09 दिनांक 09–4–2011 तथा शासनादेश संख्या–1139/आठ–2–11–3एच0 बी0 (25)/11 टी.सी. दिनांक 16–4–2011 में आवासों की आन्तरिक विकास सुविधायें यथा–सड़क, पेयजल, मार्ग प्रकाश, साफ–सफाई आदि का रख–रखाव संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16–4–2011 में आवासों के रख–रखाव तथा ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज के रख–रखाव का दायित्व आवंटी निवासियों का निर्धारित है शासनादेश दिनांक 9–4–2011 में योजना के अन्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों के आन्तरिक रख–रखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) स्थानीय आवंटियों की एक ब्लाकवार अनुरक्षण समिति गठित कराने की कार्यवाही करने के निर्देश परिचालित किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के अनुक्रम में योजनान्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज के अनुरक्षण के लिए निम्नवत् दिशा–निर्देश (संशोधित) निर्धारित किये जाते है :–

(1) योजनान्तर्गत निर्मित भवनों/परिसरों में आन्तरिक सुविधाओं का रख–रखाव (सड़क, स्ट्रीट लाईट, पेयजल, सफाई आदि) के साथ–साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय ब्लाकों में कामन एरियाज (जीने, ममटी व छत) की सफाई अथवा रख–रखाव भी किया जायेगा। जलापूर्ति प्रणाली आदि के अनुरक्षण का कार्य नगर निगम/जल संस्थान/जल निगम/ स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(2) भवनों/ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज यथा–जीने में प्रकाश की व्यवस्था, मकानों के डाउन वाटर पाइप आदि के समुचित रख–रखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा स्थानीय आवंटियों की ब्लाकवार/परिसरवार

आवश्यकतानुसार रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन (आर.डब्लू.ए.) जो ब्लाक/परिसर बड़ा होने की स्थिति में एक अधिक भी हो सकेंगी, गठित की जा सकेंगी।

(3) योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का रख–रखाव लाभार्थी आवंटियों द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।

3– योजनान्तर्गत आवासों तथा आवासीय परिसरों में विकास कार्यों के लिए भविष्य में ठेकेदारों से निष्पादित किये जाने वाले सभी अनुबन्धों में अनिवार्य रूप से लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि से डिफेक्ट रिमूवल पीरियड की अवधि 12 माह रखी जाय और इस अवधि में कार्यों में होने वाली कमियों/डिफेक्ट को ठीक करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर निर्धारित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त सीमा तक इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 2219 (1) /आठ–2–2011, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नगर विकास/समाज कल्याण/सिचाई/लोक निर्माण/नियोजन/कार्यक्रम कार्यान्वयन/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, राज्य विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
8– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
10– मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव